राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 950/2014..जिला........जयपुर..........................
उनवान– मैसर्स क्लासिक साईनेज प्रा.लि.,शास्त्रीनगर,जयपुर बनाम् 1. अपीलीय प्राधिकारी,तृतीय,वा.क.जयपुर
2. सहा.आयुक्त,वर्क्स टैक्स,प्रथम,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **<u>श्री अमर सिंह,सदस्य</u>**	
16.06.2014	अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, तृतीय,वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय प्राधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें सहायक आयुक्त, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स संभाग–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,1956 नियम 12(5) एवं (7) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,1957 के तहत् कर निर्धारण वर्ष 2008–09 के लिये पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.01.2011 एवं 28.03.2014 में कर एवं ब्याज रूपये 2,65,558/– की अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम की गई। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील मय स्थगन रू0 2,49,558/– पेश करने पर, रू0 1,59,335/–का स्थगन स्वीकार कर, शेष मांग रू. 90,223/–को अस्वीकार कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र वसूली पर रोक हेतु पेश की गयी है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवसायी के वर्ष 2008–2009 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.1.2011 को पारित किया गया था। कर निर्धारण आदेश के बाद अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा सी फार्म प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 8.3.2011 के आदेश के द्वारा मांग में कमी कर दी गई थी। दिनांक 28.3.2014 को यह माना जाकर कि दिनांक 8.3.2011 को जो मांग में कमी गई थी से अस्वीकार कर राशि रूपये 2,65,558/– की मांग कायम की गई। अपने तर्क के समर्थन में कर बोर्ड द्वारा पारित अपील संख्या 1798/2008/अलवर सहायक वाणिज्यि कर अधिकारी, अलवर बनाम मै0 सन्नी मिनरल्स इण्ड0 अलवर निर्णय दिनांक 21.4.2011 एवं अपील संख्या 1527/201/नागौर मै0 लक्ष्मी केमीकल्स, गोटल बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, नागौर निर्णय दिनांक 01.01.2014 आदि न्यायिक दृष्टान्त पेश करते हुए, शेष राशि रूपये लगातार....................2	

90,223/– के रोक प्रार्थना पत्र मय अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री श्री एन.के. बैद ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जांच कर तथ्यों के आधार पर मांग आरोपित की गयी है। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी व्यवहारी के रोक को आंशिक स्वीकार किया है। जो विधि सम्मत है। अतः रोक आवेदन अस्वीकार किया जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनी तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से यह पीठ इस निष्कर्ष पर पॅहुची है कि प्रकरण की समग्र विधिक स्थिति के मध्येनजर यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है अतः अपीलार्थी से वसूली योग्य राशि की वसूली पर 3 माह के लिए स्थगन स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि परक 2 मोतबीर जमानतें निर्णय प्राप्ति के 15 दिवस में प्रस्तुत करे अन्यथा यह निर्णय स्वतः निरस्त समझा जायेगा। अपीलीय अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि निर्णय प्राप्ति के 3 माह में अपील का निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

निर्णय सुनाया गया ।

16-6-14

(अमर सिंह)
सदस्य